**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती पासल राजेश्वरी** : (क) जी, हां। जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का संबंध है, सरकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला-पुरुष संबंधी परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाने और महिलाओं-पुरुषों में समानता लाने के उद्देश्य से चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से महिलाओं के दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए वचनबद्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। महिलाओं के शोलमंग की कोशिशों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 में सभी महिलाओं के लिए जिनमें महिला कामगार भी शामिल हैं, कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है। कार्य-स्थलों पर महिलाओं के शोषण की रोकथाम के लिए विभिन्न श्रम कानूनों अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951; खान अधिनियम, 1952 इत्यादि में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

(ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत महिलाओं को न केवल समानता प्रदान की गई है, बल्कि राष्ट्र को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्र ने महिलाओं को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों से बचाने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, अनैतिक पण्यन (दमन) अधिनियम, 1956, दहेज (निषेध) अधिनियम, 1961, स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और सती (निवारण) अधिनियम, 1987 इत्यादि जैसे महिला विशिष्ट और महिलाओं से संबंधित कानून बनाए हैं। सरकार (1) नौराड, स्टेप, सी० सी० ई० बी० टी०, एस० ई० पी०, डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०, आई०आर० डी० पी० इत्यादि (जिनमें महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण है) जैसे प्रशिक्षण-सह-आयोत्पादक कार्यकलापों; (2) कामकाजी महिला होस्टलों, अल्पावास गृहों, शिशुगृहों, परिवार परामर्श केंद्रों इत्यादि जैसी सहायक सेवाओं; और (3) महिलाओं के लिए जागृति विकास और कानूनी साक्षरता के द्वारा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रचार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। समाज में महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सामाजिक रवैये में तबदीली लाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए भी प्रयास किए जाते हैं।

**जामिया उर्दू अलीगढ़ के "अदीब"/"अदीब कामिल" पाठ्यक्रमों को मान्यता**

**6107. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जामिया उर्दू, अलीगढ़, के "अदीब", "अदीब माहिर" और "अदीब कामिल" पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जामिया उर्दू, अलीगढ से कोई संबंध नहीं है। परन्तु सरकार ने केंद्रीय सरकार के अंतर्गत रोजगार के उद्देश्य से जामिया उर्दू की संबंधित परीक्षाओं को मान्यता दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Lack of civic and Other Amenities in some Kendriya Vidyalayas of Delhi**

6108. *SYED* SIBTEY RAZI: Will the Minister of HUMAN RESOURE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether non-availability of. drinking water; non-functioning of